इमामत का मसअला

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी साहब क़िब्ला

शियों के हिसाब से हर दौर और हर ज़माने में अल्लाह की तरफ़ से तय किये हुए किसी न किसी मासूम का वजूद ज़रूरी है जो दीन की हिफ़ाज़त करने वाला हो, लोगों को शरीअत के अहकाम और दीनी अक़ीदों की तालीम दे, दीन में बदलाव और इख़्तेलाफ़ पैदा करने वालों से दीन की हिफ़ाज़त करे और इख़्तेलाफ होने की हालत में सही तालीम से लोगों को बाख़बर करे।

यह सिलसिला आख़री नबी[स०] तक नबियों और रसूलों की सूरत में चलता रहा। इनमें से कुछ शरीअत वाले थे जो अल्लाह के पैग़ाम बन्दों तक पहुँचाते थे और कुछ शरीअतों की हिफ़ाज़त करने वाले थे। सबसे पहले शरीअत वाले पैग़म्बर जनाबे नूह[अ०] और आख़री हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा[स०] थे आपकी ज़ात पर दीन कामिल और नुबुव्वत मुकम्मल हो गयी। अब न कोई नई शरीअत आएगी और न कोई नबी आएगा। लेकिन जिस तरह दो शरीअत वाले पैग़म्बरों के बीच शरीअत की हिफ़ाज़त के लिए नबियों को अल्लाह की तरफ़ से तैय किया जाता रहा उसी तरह रसुले ख़ुदा[स०] के बाद आपकी औलाद में से कुछ बड़े मरतबे वाले लोगों को एक के बाद एक अल्लाह तआला ने इस्लाम की हिफ़ाज़त और मदद के लिए तैय फ़रमाया है। जिनका काम दीन के सही मतलब से लोगों को पहचनवाना और उसकी हिफ़ाज़त करना है। जिनकी पहचान रिसालतमआब[स०] ने कभी तफ़सील से और कभी मुख़्तसर तौर पर अपनी हदीसों के ज़रिये करवायी और हर इमाम अपने बाद वाले इमाम को पहचनवाता रहा। इस सिलसिले के पहले इमाम अली इब्ने अबी तालिब[अ०] थे और आख़री वही इमाम महदी[अ०] हैं जिनके आने की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) रसूले ख़ुदा[स०] अपनी मुत्तफ़क़ अलैह हदीसों में फ़रमाते रहे हैं। जो उस वक़्त ज़ाहिर होंगे जब ज़मीन ज़ुल्मो सितम से भर चुकी होगी। (पहली सदी हिजरी से तक़रीबन हर सदी में महदवियत के दावेदार पाये जाना या कुछ लोगों के महदी होने का अक़ीदा और इन दावा करने वालों की मुख़ालेफ़त करने वालों को असल महदवियत के अक़ीदे को रद्द न करना इसकी दलील है कि हर दौर में यह अक़ीदा कि एक ऐसे शख़्स जिसका लक़ब महदी होगा और जो इन्साफ़ और बराबरी को आम करेगा इजमाई और इस्लाम की बुनियादों में से है।) यह रसूल[स०] के आख़री नायब इन्साफ़ और बराबरी को आम करेंगे। इनके झण्डे के नीचे पूरी दुनिया तौहीद और रिसालत का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जायेगी। इस्लाम के सिवा दुनिया में कोई दीन बाक़ी नहीं रहेगा। यह ख़ुलासा है उन पेशीनगोइयों का जो सभी मुसलमानों में साबित हैं। अभी कुछ साल पहले मोअ्तमिरे इस्लामी की फ़िक़ही कमेटी का फ़तवा सबके सामने आ चुका है कि महदी मौऊद का अक़ीदा रखना जो फ़ातिमा[स०] की नस्ल से होंगे, ज़रूरी है क्योंकि सही हदीसें इस बारे में मौजूद हैं जिनका इन्कार मुमकिन नहीं है।

अहलेसुन्नत और शियों की हदीसें इस बारे में भी एक हैं कि उसी ज़माने में जनाबे ईसा[अ०] भी ज़ाहिर होंगे और यह बुज़ुर्ग पैग़म्बर उसी नाएबे रसूल[स०] के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे।

चूँकि यह इमाम[अ०] उस रसूल[स०] के नायब हैं जो सैय्यिदुल मुर्सलीन और अशरफ़ुन्नबिय्यीन हैं जिस पर

आयते करीमा *"इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न्नबिय्यीन"* की एक तफ़सीर की बुनियाद पर तमाम पिछले नबियों से ईमान लाने का अहद लिया गया था यह उसी कामिल दीन और आख़री शरीअत की हिफ़ाज़त करने वाले हैं जो पिछली सभी शरीअतों से अफ़ज़ल और बेहतर है इसलिए इनका मर्तबा पिछले नबियों से बलन्द है। (जैसा कि जनाबे ईसा[अ०] के आख़री इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने से पता चलता है)

रसूले ख़ुदा[स०] की वह हदीस जिसे इस्लाम के दोनों गिरोह मानते हैं कि "मैं तुम में दो क़ीमती चीज़ें छोड़े जाता हूँ एक ख़ुदा की किताब दूसरे मेरे अहलेबैत, जब तक इन दोनों से जुड़े रहोगे कभी गुमराह न होगे। और यह दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग न होंगे यहाँ तक कि मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुँच जाएं" इन से जुड़े रहने को नजात की शर्त क़रार देती है।

इन्हीं अहलेबैत के बारे में रिसालतमआब का इरशाद है "मेरे अहलेबैत की मिसाल नूह[अ०] की कश्ती की जैसी है जो भी इसमें सवार हुआ उसने नजात पाई और जो इससे दूर रहा वह डूबा और हलाक हुआ यानी जिस तरह हलाकत से नजात नूह[अ०] की कश्ती में थी उसी तरह सिर्फ़ वही नजात हासिल कर सकेंगे जो अहलेबैत[अ०] से जुड़े रहेंगे।

यह हदीसें इतनी मश्हूर हैं कि किसी भी समझदार के लिए इन्कार मुश्किल है इसलिए हवालों की ज़रूरत नहीं महसूस होती। अगर ज़्यादा तहक़ीक़ मन्जूर हो तो हदीक़-ए-सुल्तानिया या अबक़ातुल अनवार देख सकते हैं। ⌘⌘⌘